मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 15 नवम्बर, 2002 (कार्तिक 24, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, खण्डवा जिले के बुरहानपुर एवं नेपानगर वन मंडल क्षेत्रों में अवैध कटाई कर अतिक्रमण किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर नगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से केरोसीन वितरण में अनियमितता होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री अनूप मिश्रा, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के मंडीदीप स्थित ल्यूपिन फैक्ट्री की प्रयोगशाला में गैस के प्रभाव से कार्यरत कर्मी बीमार होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, सदस्य, इंदौर के आगरा-मुम्बई राज मार्ग पर इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से अधिग्रहीत भूमि की भू-माफिया द्वारा अवैध रूप से बिक्री किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, सदस्य, बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र में केरोसीन का वितरण न होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री लालसिंह, उमेश शुक्ला, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम गोरावपुरा में इलाज के अभाव में नौ आदिवासी बच्चों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, राव देशराज सिंह यादव, सदस्य, गुना जिले के ग्राम खजुरिया में भुखमरी से तंग आकर एक दम्पत्ति द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री रसाल सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले की रौन पुलिस द्वारा गिरफ्तार डकैत को फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मार गिराने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, बैतूल जिले में मध्याह्न भोजन हेतु आवंटित गेहूं को ग्राम पंचायतों द्वारा बेचे जाने की ओर ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. वर्ष 2002-2003 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 2002-2003 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

4. वक्तव्य

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, दिनांक 23 जुलाई, 2002 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्रमांक 1417) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री दीपक सक्सेना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, दिनांक 24 जुलाई, 2002 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्रमांक 1231) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

5. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. — प्रदेश में विद्युत संकट तथा कृषकों को विद्युत पंप कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री कमल पटेल, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), नरेश सिंह पटेल, रामपाल सिंह, नरेन्द्र बिरथरे, कैलाश विजयवर्गीय, राजेन्द्र भारती (दतिया), लक्ष्मीकांत शर्मा, कुंवर विजय शाह, सर्वश्री रसाल सिंह, हिम्मत कोठारी, भूपेन्द्र सिंह, लाल सिंह, राव देशराज सिंह यादव तथा डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे.

6. अशासकीय संकल्प

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

1 घन्टा — "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि फसल बीमा योजना में पटवारी हल्के के स्थान पर ग्राम पंचायत को ईकाई माना जावे."

(2) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

1 घन्टा — "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु वर्ष 1950 की लगाई गई शर्त समाप्त की जावे."

(3) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. — "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि इलाहाबाद-शहडोल व्हाया सीधी रेल्वे लाइन बिछाई जावे."

डॉ.ए.के.पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 14 नवम्बर, 2002